

चौ. चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार
(Established by Parliament Act-16 of 1970)

रामधन सिंह बीजफार्म के फल की नीलामी सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के रामधन सिंह बीजफार्म के क्षेत्र व ह. कृ. वि. वि. हिसार के गेट नं. 4 में निम्न लिखित फलदार वृक्षों के 09.10.2026 से 08.10.2028 तक के फले तोड़ने व बेचने के अधिकार देने हेतु खुली बोली दिनांक 09.10.2026 को 11:00 रामधन सिंह बीज फार्म सिरसा रोड हिसार पर की जाएगी। बोलीदाता बाग का निरीक्षण किसी भी कार्य दिवस में सुबह 09:00 से 04:30 तक कर सकते हैं। हर बोलीदाता को 5000 रुपये धरोहर राशि जमा करवानी होगी। सफल बोलीदाता को संलग्न की गई शर्तें स्टाम्प पेपर पर एक सप्ताह के अन्दर देनी होगी, वरना निविदा रद्द कर दी जाएगी एवं धरोहर राशि जब्त कर ली जाएगी। विश्वविद्यालय को सबसे ऊँची बोली को मानने या रद्द करने का पूरा अधिकार रहेगा।

क.सं.	फलों के नाम
1	अमरुद
2	आंवला
3	बेलगिरी

निदेशक, रामधन सिंह बीजफार्म
चौ. चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार
दूरभाष: 01662-255433

नियम व शर्तें

- वैज्ञानिक अपने अनुसंधान कार्य के लिए वृक्षों का चुनाव कर सकते हैं।
- फल वृक्ष को नुकसान पहुंचाने पर उसकी भरपाई ठेकेदार को करनी होगी।
- बाग में सिंचाई नहर में पानी पर निर्भर करेगी और ठेकेदार को स्वयं पानी लगाना होगा।
- बाग में बहाई, कीटनाशक व खाद का छिड़काव ठेकेदार को करना होगा। खाद व दवाई ह. कृ. वि. वि. की समगर सिफारिसों के अनुसार उपलब्धता के आधार पर उपलब्ध करवाई जाएगी।
- बाग की संभाल का कार्य (निराई, गुड़ाई, खरपतवार नियंत्रण) ठेकेदार का होगा।
- बाग में किसी प्राकृतिक आपदा से हुए नुकसान की विभाग की कोई जिम्मेवारी नहीं होगी।
- सरकारी बोली का फौसला कमेटी करेगी।
- बोली के दौरान बोलीदाता के लिए मोबाईल का उपयोग पूर्ण रूप से निषेध है।
- सफल बोलीदाता को ठेके की रकम का 50 प्रतिशत हिस्सा तीन दिन के अंदर देना होगा व बाकी 50% राशि 2 किस्तों में 25 - 25 प्रतिशत हर तिमाही के अंदर देनी होगी।
- धरोहर राशि ठेका पूरा हो ने पर ईन्चार्ज से No dues certificate देने के बाद वापिस की जाएगी।
- अगर सफल बोलीदाता, बोली छूटने पर बोली की राशि का आधा हिस्सा एक दिन में जमा नहीं करता, तो उसकी धरोहर राशि जब्त कर ली जाएगी और नीचे वाले बोलीदाता को ठेका दिया जाएगा।
- किस्त समय पर न देने पर फलों की तुड़वाई बंद कर दी जाएगी और जब तक किस्त जमा नहीं होती फल नहीं तोड़ने दिए जाएंगे।
- अगर किस्त समय पर नहीं दी तो उस पर 15 प्रतिशत ब्याज लिया जाएगा। निदेशक को अधिकार होगा कि अगर वह ठेकेदार से संतुष्ट नहीं है तो उसे हटा सकते हैं।
- ठेकेदार द्वारा किसी नियम का उल्लंघन करने पर जुर्माना किया जा सकता है।
- फल की तुड़वाई सही समय पर करनी होगी तथा ईन्चार्ज की अनुमति से करनी होगी।
- ठेकेदार के पास काम करने वाले सभी सदस्यों को अपना पासपोर्ट साईज फोटो विभाग में जमा करवाना होगा।
- ठेकेदार बाग को किसी दूसरे व्यक्ति को आगे ठेके पर नहीं दे सकता।
- सफल ठेकेदार को नीलामी के एक सप्ताह के अन्दर 15 रुपये के स्टाम्प पेपर पर नीलामी शर्तों का ऐग्रीमेंट दो गवाहों के हस्ताक्षर सहित देना होगा।
- अनैतिक एवं असामाजिक कार्यरामधन सिंह बीज फार्म में निषेध है। दोषी के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाएगी तथा जुर्माना किया जाएगा।
- ठेकेदार को मुख्य सुरक्षा अधिकारी RDS Farm के आदेशों की अनुपालना करनी होगी ताकि बाग क्षेत्र की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके।

रामधन सिंह बीजफार्म

चौ. चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार

No.RDS/2026/ 1354-1613

Dated...30/9/2026

निलामी सूचना की प्रतिलिपि निम्नलिखित विभागों को सूचनार्थ प्रेषित है :-

1. सभी अनुसंधान केन्द्र कृषि विज्ञान केन्द्र
2. फार्म निदेशक, चौ. चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार
3. अनुसंधान निदेशक, चौ. चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार
4. सभी विभागध्यक्ष, कृषि महाविद्यालय, चौ. चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार
5. नोटिस बोर्ड
6. निदेशक, बागवानी मिशन, पंचकूला।
7. निदेशक, उद्यान विभाग, पंचकूला।
8. जिला उद्यान अधिकारी, हिसार।
9. निदेशक, दूरदर्शन केन्द्र हिसार।
10. निदेशक, आकाशवाणी केन्द्र, हिसार।
11. निदेशक, राष्ट्रीय बीज लिमिटेड, सिरसा रोड, हिसार।
12. सभी ठेकेदार (बाग एवं नर्सरी)
13. सरपंच, ग्राम ठसका
14. सरपंच, ग्राम बीड बबरान
15. सरपंच, ग्राम तलवंडी राणा
16. Computer Section, COBS&H, CCS HAU, Hisar for placing the notice on website.